छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 528/2006</u>

श्री कुमार द्विवेदी,
आत्मज स्व0 श्री रामजी द्विवेदी,
बोरीपारा नगर, अम्बिकापुर,
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
अम्बिकापुर,
जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 10 जनवरी 2007)

श्री कुमार द्विवेदी निवासी–अम्बिकापुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष कलेक्टर, अंबिकापुर के आदेश दिनांक 15–09–2006 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा दिनांक 10–07–2006 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर को आवेदन प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति चाही गई थी। साथ ही उसके द्वारा उसकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने संबंधी दण्ड दिये जाने की आर्डरशीट एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रति मांगी थी। दिनांक 7–8–2006 को अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क 13/– रूपए जमा करने की सूचना दी गई। राशि जमा होने पर उसे विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण की आर्डरशीट की छायाप्रति तथा संबंधित दस्तावेज भेजे गये। साथ ही उसे माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस की छायाप्रति भी दी गई। अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर कलेक्टर, अंबिकापुर को अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर के द्वारा दिनांक 15–09–2006 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसको वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दी जा चुकी है, अतः आवेदन पत्र अमान्य किया गया, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा दिनांक 22–12–2006 को विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की गई, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी ने बतलाया कि उसे अधूरी जानकारी दी गई है तथा जो भी जानकारी दी गई है वह सत्यापित नहीं है। आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र दिनांक 10–07–2006 की जानकारी दिनांक 01–08–2006 को उपलब्ध करा दी गई है। आवेदन–पत्र दिनांक 18–08–2006 के

संबंध में अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था। उसे आवेदन–शुल्क जमा करने के लिए कहा गया, किन्तु उसके द्वारा आवेदन–शुल्क जमा नहीं करने के कारण उसका आवेदन–पत्र दिनांक 15–09–2006 को अमान्य किया गया।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर के द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न अभिलेखों से पुष्टि नहीं करता है। दिनांक 15–09–2006 को सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि 10–07–2006 के आवेदन–पत्र के संदर्भ में वांछित दस्तावेजों की प्रति उसको दे दी गई है। जन सूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक–195 दिनांक 23–08–2006 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि दिनांक 10–07–2006 की आवेदित जानकारी उसको पूर्व में दी जा चुकी है। दिनांक 18–08–2006 के आवेदन पत्र में अन्य कंडिकाओं का समावेश कर जानकारी चाही गई है, उसका नियमानुसार 10/– रूपए का चालान पृथक से जमा कराया जावे। दिनांक 18–08–2006 का आवेदन पत्र कलेक्टर के द्वारा रोकी गई वेतनवृद्धि से संबंधित आर्डरशीट की छायाप्रतियां एवं विभागीय जांच से संबंधित नोटशीट की प्रतियां आदि थी। उल्लेखनीय है कि यह जानकारी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में अभिलेख शुल्क लेकर दी जा चुकी है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति चाही थी, जबकि उसे माननीय उच्च न्यायालय के नोटिस की छायाप्रति प्रदान की गई। अतः जन सूचना अधिकारी आवेदक को स्पष्ट रूप से सूचित करना था कि स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है अथवा नहीं और यदि दिया है तो उसकी प्रति अपीलार्थी को दी जाना थी। माननीय उच्च न्यायालय के नोटिस की प्रति में कार्यवाही स्थगित किये जाने का उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी ने भी अपने अपील आवेदन में स्थगन आदेश की प्रति के संबंध में उल्लेख किया है। दिनांक 22 जनवरी 2005 को संयुक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर के द्वारा आवेदक को पत्र क्रमांक–1787 के द्वारा नामांतरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नामातरण प्रकरण स्थगित करने के निर्णय का उल्लेख किया है, जबकि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के प्राप्त नोटिस में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के संबंध में आदेश की सही जानकारी नहीं दी गई है। अतः जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश यदि प्राप्त हुए हों तो उसकी प्रमाणित छायाप्रति प्रदान की जावे। अन्यथा अपीलार्थी को सूचित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन नहीं दिया गया है, केवल नोटिस भेजा गया है।

5/ अपीलार्थी ने प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने तथा अपीलार्थी को मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन किया। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को जानकारी दिये जाने का आरोप सिद्ध नहीं है। अपीलार्थी ने स्वयं एक ही प्रकार की जानकारी कई आवेदन–पत्रों के माध्यम से मांगी है, जिससे कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः अपीलार्थी को मुआवजा दिये जाने का भी औचित्य नहीं है। केवल पूर्व कंडिका में

उल्लेख अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से संबंधी जानकारी दिये जाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही जो भी जानकारी असत्यापित दी हो, उसे सत्यापित करने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

6/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त